न्यायिक अधिष्ठान बरेली में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को दिनांक 01.12.2008 से लागू नयी व्यवस्था के अन्तर्गत 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन/सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी) का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में समिति की आख्या :–

उपरोक्त विषयक माननीय जनपद न्यायाधीश, बरेली के आदेश दि0 02.09.2015 द्वारा समिति को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (आशुलिपिकगण एवं वाहन चालक सहित) को नियमानुसार देय सलेक्शन ग्रेड एवम् सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी) का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारीगण के नामों की संस्तुति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन में श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, बरेली की अध्यक्षता में नामित सदस्य श्री अवनीश सक्सेना, विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), एवं श्री मृदुलेश कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, बरेली के साथ दिनांक 29.01.2016 को विश्राम कक्ष में बैठक की गई जिसमें वरिष्ठ सहायक (लेखा) को सम्बन्धित शासनादेशों व सेवा अभिलेखों एवं वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) को कर्मचारीगण के विरूद्ध सम्बन्धित अवधि में विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने एवं विभागीय जाँच के अन्तिम निस्तारण होने के उपरान्त दण्डित किये जाने की आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया, यह भी आदेशित किया गया कि सम्बन्धित कर्मचारीगण की सूचीवार चरित्र पंजिकाएं एवं सेवा पुस्तिकायें भी प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा विभिन्न कार्य दिवस में बैठक करने के पश्चात् आज दिनांक 01.02.2016 को पुनः बैठक की गयी जिसमें वरिष्ठ सहायक (लेखा) द्वारा प्रस्तुत कार्यरत एवं सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण, आशुलिपिकगण एवं वाहन चालकों की सूची, सम्बन्धित सेवा अभिलेख व चरित्र पंजिकाओं का सम्बन्धित शासनादेशों जिनमें शासनादेश सं0 वे0अ0–2–561/दस–62(एम)/2008 दिनांक 04.05.2010, वे0अ0–2–253/दस–62(एम)/2008टी0सी0 दिनांक 17.02.2011, वे0अ0–2–798/दस–62(एम)/2008 दिनांक 30.05.2011, वे0अ0–2–2104/दस–62(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 22.12.2011, वे0अ0–2–2118/दस–62(एम)/2008 दिनांक 22.12.2011 शासनादेश सं0वे0अ0–2–773/दस–62(एम)/2008 दिनांक 05.11.2014 व शासनादेश संख्या 08/2015 वे0अ0–2–190/ दस–62एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 03.03.2015 एवं शा0 सं0 761/कार्मिक–1–93 दि0 30.06.1993 एवं 13/2/1993–क–1/2004 दिनांक 27.10.2004 भी सम्मिलित है के आलोक में अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा सम्बन्धित कर्मचारीगण के चरित्र पंजिकाओं एवं सेवा पुस्तिकाओं का अवलोकन किया गया और पाया गया कि चरित्र पंजिकाओं में अधिकांश कर्मचारीगण की प्रत्येक वर्ष की वार्षिक प्रविष्टियॉं उपलब्ध नहीं है तथा कई कर्मचारीगण की लगातार दो–दो एवं तीन–तीन वर्ष की वार्षिक प्रविष्टियॉं उपलब्ध नहीं हैं। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) से आख्या प्राप्त की गयी । वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) की आख्या दिनांक 08.01.2016 के अनुसार कर्मचारीगण की गोपनीय प्रविष्टियां सम्बन्धित कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं में चस्पा है अलग से कोई प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है। अतः समिति द्वारा सम्बन्धित शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अर्न्तगत जिन कर्मचारीगण की वार्षिक प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है तथा अन्य कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है तो ऐसे कर्मचारीगण की सम्बन्धित वर्ष की सेवा को संतोषजनक माना गया है। यदि किसी कर्मचारीगण की किसी वर्ष की निन्दा प्रविष्टि उपलब्ध है और उस निन्दा प्रविष्टि से सम्बन्धित घटना की तिथि के बाद के अगले पांच वर्ष की अवधि में कोई अन्य प्रतिकूलता (यथा प्रतिकूल प्रविष्टि, दण्ड आदि) न हो तो उस निन्दा प्रविष्टि को संतोषजनक सेवा के मूल्यांकन हेतु विचार में न लेकर उसे नजर अन्दाज कर दिया गया है ।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 05.11.2014 के प्रस्तर–14 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिन कर्मचारीगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता अन्तिम रूप से निर्णय होने तक स्थगित रहेगी । अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त निर्दोष पाये जाने की दशा में अनुमन्यता के दिनांक से वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा परन्तु दोषी पाये जाने की दशा में समिति द्वारा कर्मचारियों को दिये गये दण्ड पर विचारोपरान्त देयता के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी । इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारीगण जिन्हें वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) की आख्या दिनांक 08.01.2016 के अनुसार सम्बन्धित अवधि में लघु अथवा वृहद दण्ड दिया गया है उन

कर्मचारीगण के सम्बन्ध में भी दिये गये दण्ड पर विचारोपरान्त देयता के सम्बन्ध में समिति द्वारा पुनर्विचार कर संस्तुति की जायेगी । समिति की संस्तुतियों पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

शासनादेश दिनांक 05.11.2014 के प्रस्तर–19 (3)(5) के अन्तर्गत संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कर्मचारी को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारत कर दिया जायेगा । प्रस्तर–19 (4)(IV) के अनुसार वरिष्ठ कर्मचारी को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य होने और कनिष्ठ कार्मिक को ए0सी0पी0 के रूप में प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ के सापेक्ष कम होने से उत्पन्न विसंगति के निराकरण हेतु वरिष्ठ का वेतन भी कनिष्ठ के समान विसंगति के दिनांक से निर्धारित कर दिया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कर्मचारी को तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कर्मचारियों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हो ।

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार विचार–विमर्श करने के उपरान्त वरिष्ठ सहायक (लेखा) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचियों 1 लगायत 5 जो सलग्न है के आधार पर संलग्नक सूची संख्या–1 में दर्शायें गये कुल 202 कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण में से 69 कर्मचारीगण को; सूची संख्या–2 में दर्शाये गये 33 सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण में से 16 कर्मचारीगण को; सूची संख्या–3 में दर्शाये गये 48 कार्यरत आशुलिपिकगण में से 23 आशुलिपिकगण को; सूची संख्या–4 में दर्शाये गये 10 सेवानिवृत्त आशुलिपिकगण में से 08 आशुलिपिकगण को एवं सूची संख्या–5 में दर्शाये गये 03 वाहन चालकों में से 05 वाहन चालकों को सम्बन्धित कर्मचारीगण के नामों के सम्मुख अंकित कालम नम्बर 12 में 10 वर्ष, कालम नम्बर–13 में 16 वर्ष एवं कालम नम्बर–14 में 26 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि से क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) का लाभ अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी है। वरिष्ठ सहायक "लेखा" द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित सूची संख्या 1, 2, 3, 4, एवं 5 एवं समिति द्वारा हस्ताक्षरित संलग्नक सूची संख्या–1, 2, 3, 4 एवं 5 जो समिति की आख्या के भाग हैं, के कालम नम्बर 15 में उन कर्मचारीगण के नामों के सम्मुख "अनुमन्य है" अंकित किया गया है जिन्हें ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी है तथा जिन कर्मचारीगण को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है, उन कर्मचारीगण को सम्बन्धित अवधि में दण्डित किया गया है अथवा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है अथवा उन्होंने अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं की है की टिप्पणी उनके नामों के सम्मुख कालम नम्बर–16 में अंकित की गयी है।

महोदय की यदि अनुमति हो तो समस्त सूचियों 1 लगायत 5 सम्बधित कर्मचारीगण के बीच आपत्ति आमंत्रित करने हेतु परिचालित की जाय एवं आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु उन्हें 15 दिवसों का समय प्रदान कर उनकी आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरान्त ए0सी0पी0 के लाभ की गणना हेतु पुनः ए0सी0पी0 समिति की बैठक आहूत होकर आख्या अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा सके ।

समिति की आख्या माननीय जिला न्यायाधीश बरेली को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

सदस्य समिति	सदस्य समिति	अध्यक्ष समिति
11/2/16	11.2.2016	11.02.16
(मृदुलेश कुमार सिंह)	(अवनीश सक्सेना)	(जितेन्द्र कुमार सिन्हा)
अपर जिला जज,	विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट0)	अपर जिला जज
त्वरित न्यायालय, बरेली ।	बरेली ।	कक्ष संख्या–1, बरेली ।

(5)

सेवा में,

माननीय जिला जज,
बरेली

महोदय,

ए0सी0पी0 समिति की आख्या दिनांक 11.02.2016 पर पारित माननीय महोदय के आदेश दिनांक 09.09.2016 के अनुपालन में सादर आख्या है कि ए0सी0पी0 समिति द्वारा दिनांक 11.02.2016 को कार्यरत एवं सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण, आशुलिपिकगण एवं वाहन चालकों को देय ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी जिस पर तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2016 द्वारा समिति की आख्या के संलग्न सूची संख्या 01 से 05 पर अंकित समस्त कर्मचारीगण को, यदि किसी कर्मचारीगण को कोई आपत्ति हो तो कर्मचारीगण 15 दिन के अन्दर प्रशासनिक कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। इस सम्बन्ध में समस्त कर्मचारीगण को सूचित करने के उपरान्त निम्नलिखित कर्मचारीगण द्वारा अपनी–अपनी आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयीं जिसके अवलोकन से विदित है कि निम्नलिखित कर्मचारीगण को समिति द्वारा ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति इसलिये नहीं की गयी है कि सम्बन्धित कर्मचारीगण को सम्बन्धित अवधि में किसी विभागीय जॉच में दण्डित किया गया है, कर्मचारीगण द्वारा नियमानुसार अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं की गयी है अथवा कर्मचारी का नाम सूची में अंकित नहीं है जिसका विवरण कर्मचारीगण के नाम के सम्मुख निम्नवत अंकित है।

क0सं0	नाम कर्मचारी	पदनाम	अभ्युक्ति
1.	श्री नन्द किशोर सिंह	वरि0सहा0	सम्बन्धित अवधि में दण्डित किया गया है।
2.	श्री बृज मोहन सिंह	आशु0 (से0नि0)	अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं है।
3.	श्री रामबाबू	वरि0सहा0 (से0नि0)	सूची में नाम अंकित नहीं है।
4.	श्री सरजीत सिंह	वरि0सहा0 (से0नि0)	अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं है।
5.	श्री जगदीश बाबू	वरि0सहा0 (से0नि0)	अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं है।
6.	श्री साबिर हुसैन	वरि0सहा0 (से0नि0)	अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं है।
7.	श्रीमती सीमा सक्सेना	आशुलिपिक	अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं है।
8.	श्री सर्वेन्द्र कुमार मिश्रा	आशुलिपिक	अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं है।
9.	श्री शिव कुमार	वरि0 सहा0	सम्बन्धित अवधि में दण्डित किया गया है।
10.	श्री सै0 जफर हुसैन	से0नि0 वरि0 प्रशा0अधि0	सूची में नाम अंकित नही है।
11.	श्री रामा नन्दन	वरि0 सहा0	अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं है।
12.	श्री राकेश कुमार सक्सेना–II	वरि0 सहा0	अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं है।

उपरोक्त समस्त कर्मचारीगण को उनके नाम के सम्मुख अंकित टिप्पणी के कारण ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति नहीं की

09.9.16

गयी है परन्तु समिति द्वारा जिन कर्मचारीगण को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी है उन्हे अभी तक ए0सी0पी0 का लाभ नहीं मिला है।

अतः श्रीमान्जी यदि उचित समझें तो उपरोक्त सूची में क0 सं0 01 से 12 तक दर्शाये गये कर्मचारीगण के अतिरिक्त अन्य शेष कर्मचारीगण जिन्हें समिति द्वारा ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान कराये जाने की संस्तुति की गयी है, को ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

उपरोक्त सूची में क0 सं0 01 से 12 तक दर्शाये गये कर्मचारीगण को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध पुनर्विचार हेतु समिति को भेजा जा सकता है।

आख्या श्रीमान्जी की सेवा में उचित आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

8.9.16

वरिष्ठ सहायक (प्रशासन)
जनपद न्यायालय, बरेली।

Seen.

District Judge
Bareilly

(3)

प्रशासनिक आदेश संख्या /2016
दिनांकित : सितम्बर 09, 2016

आदेश

मुझे अवगत कराया गया कि तृतीय श्रेणी पद पर कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारीगण तथा आशुलिपिक व वाहन चालक इत्यादि के ए.सी.पी. वेतनमान निर्धारित करने के सम्बन्ध में पूर्व जनपद न्यायाधीश द्वारा समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा दिनांक 11.02.2016 को अपनी विस्तृत संस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 11.02.2016 को ही सूची सं0 1 ता 5 में उल्लिखित कर्मचारियों से 15 दिन में आपत्ति मांगी गयी थी जिसके अनुपालन में कुल 12 कर्मचारियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी इसलिये दिनांक 23.07.2016 को पूर्व जनपद न्यायाधीश द्वारा पुनः एक समिति का गठन आपत्ति के निस्तारण व वेतनमान निर्धारित करने के लिये किया गया था। दिनांक 08.09.2016 को वरिष्ठ सहायक प्रशासन श्री प्रमोद कुमार सक्सेना द्वारा कुल 12 कर्मचारियों की सूची इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि सूची में क्रम सं0 1 से 12 तक दर्शाये गये कर्मचारीगण को ए.सी.पी. का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु समिति को भेजा जा सकता है।

अतः सूची क्रम सं0 1 ता 12 में जिन कर्मचारियों के नाम उल्लिखित किये गये हैं, इनको ए.सी.पी. दिलाये जाने से सम्बन्धित मामला दिनांक 23.07.2016 को गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। वह इनकी आपत्तियों का निराकरण करके एक माह में अपनी आख्या प्रस्तुत करे। पूर्व में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 11.02.2016 अनुमोदित किया जाता है। सूची सं0 1 ता 5 में उल्लिखित सभी कर्मचारियों जिन्हें वेतनमान दिये जाने के लिये अनुमन्य किया गया है उनके वेतनमान देने की संस्तुति किया जाता है। लेखा लिपिक इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे।

Raja Ram Saroj
(राजा राम सरोज)
जनपद न्यायाधीश, 9/9/2016
बरेली।

DISTRICT JUDGE
BAREILLY